फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ (जयपुर)

रामकिशन बनाम सरकार व अन्य

मुकदमा संख्या/वर्ष : 143/2019

क्र०स०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	26/11/19	पत्रावली पेश हुई, अधिवक्ता संघ द्वारा कण्डोलेंस/कार्य का बहिष्कार करने पर पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 28/11/19 पेश हो।
	28/11/19	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई वास्ते आदेश दिनांक 3/12/19 को पेश हो। (विश्वामित्र मीणा) उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़
	3/12/19	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पैरोकार सरकार अप्रार्थी स०1, व अप्रार्थी स० 2 के वकील पुष्पेन्द्र शर्मा उपस्थित। उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी श्री रामकरण शर्मा ने अपनी बहस में प्रस्तुत स्थगन पत्र के कथनों को दोहराते हुए कहा कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी भूमि वाके ग्राम मिर्जा पटवार हल्का धामना तहसील-जमवारामगढ़ (जयपुर) में स्थित आराजी ख०न०101 रकबा 0.0100 है। है जिसके साबिक ख०न० 61 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा रहे जो प्रार्थी की संयुक्त आराजीयात है। जिस पर प्रार्थी का कब्जा चला आ रहा है। जिसको हाल सेटलमेन्ट के दौरान नवीन खसरा 101 का नक्शा तरमीम करते वक्त पूर्व नक्शे से कम कर दिया गया।

(विश्वामित्र मीणा) उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

Scanned by CamScanner

फर्द अहकाम

...लय उपखण्ड अधिकारी न्यायालय (रामगढ़)

रामकिशन बनाम सरकार व अन्य

...ना संख्या/वर्ष : 143 / 2019

	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		जो रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थी सं० २ की आबादी भूमि के नक्शों को प्रकार प्रार्थी की भूमि के नक्शों को गलत प्रकार से तरमीम कर दी गई जो दुरुस्तनीय है जिसका प्रार्थी अधिकारी है। प्रार्थी की भूमि के दक्षिणी दिशा में आबादी भूमि है। तथा दक्षिणी - पश्चिम में आम रास्ता दर्ज है तथा प्रार्थी की भूमि ग्राम ख०न० ६१ की तरमीम, रास्ते शुदा तरमीम के पश्चिम लाईन से लगाती हुई तरमीम ख०न० ६१ सही है जबकि ख०न० १०१ की नक्शा तरमीम को रास्ते की तरमीम के पूर्व दिशा की लाईन से लगाती हुई तरमीम दर्ज कर दिया जिससे आबादी भूमि की तरमीम प्रार्थी की भूमि में दर्ज हो गई। तथा पूर्व ~~पश्चिम~~ तरमीम शुदा रास्ते की तरमीम को पूर्व पूर्व नक्शे के विपरीत दर्ज कर रास्ते की तरमीम बढा दी गई जिससे प्रार्थी की खातेदारी का नक्शा प्रभावित हो गया। और नक्शा संकुचित किया गया जिसकी आड़ में प्रार्थी की भूमि की गलत नक्शा तरमीम के आधार पर प्रार्थी की भूमि में सामुदायिक भवन निर्मित करना चाहते है जो प्रार्थी की खातेदारी भूमि है। गलत नक्शे के आधार पर भवन निर्मित करने का कोई अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के प्रस्तुत कर निवेदन किया	

(विश्वामित्र मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़

Scanned by CamScanner

फर्द अहकाम

न्यायालय उपजिलाधिकारी अधिकारी पवायाँ (पूरनपुर)

रामकिशन बनाम सरकार वगैरह

मुकदमा संख्या/वर्ष : 143/2019

क्र0स0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		कि वादी ग्राम निम्मी तहसील पवायाँ (पूरनपुर) में स्थित भूमि हाल ख०नं० 101 के लगवा आबादी व रास्ते की भूमि के त्रुटिपूर्ण नक्शे के आधार पर ख०नं० 101 की सीमा के पास आबादी भूमि की आड़ में किसी प्रकार का कच्चा-पक्का निर्माण नहीं करे ना ही रास्ता निकाले तथा मौके की यथास्थिति कायम रखे।
		अप्रार्थी सं० 1 ने अपनी शपथ में प्रस्तुत जवाब को मूल प्रकरण सं० 148/2019 उनवान रामकिशन बनाम सरकार धारा 131,136 UR अधि में पेश किया, के कथनों की ताईद करते हुए कहा कि ग्राम निम्मी के साबिक ख०नं० 61 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा के हाल ख०नं० 101 बने हैं ख०नं० 101 रकबा 0.29 हेक्टेयर, रामकिशन, साधुराम, हरिनारायण पि० रामनारायण जाति गूजर सा० देह की खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड है।
		गत ख०नं० 61 लठ्ठा एवं हाल नक्शा ख०नं० 101 का मिलान करने पर मामूली अन्तर पाया गया है कोई प्रकार से रकबा बराबर करने पर 0.29 हेक्टेयर पाया गया अर्थात नये एवं पुराने नक्शों में रकबा बराबर है। इसलिये प्रस्तुत प्रार्थना को खारिज किया जावे।
		अप्रार्थी सं० 2 ने अपने जवाब के मद सं० 1 लगायत 15 में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए एवं प्रारम्भिक आपत्ति के मद सं० 1 ता 4

(विश्वामित्र मी... उपखण्ड अधिकारी ...रामगढ़)

Scanned by CamScanner

फर्द अहकाम

लय — उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ (जयपुर)

रामकिशन — बनाम — सरकार व अन्य

मां संख्या/वर्ष : 143 /2019

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुऐ अपनी बहस में कहा कि उक्त प्रार्थना पत्र किस धारा, किस अधिनियम के तहत पेश किया पूरे प्रार्थना पत्र में कहीं भी उल्लेख नहीं किया। इसीलिये कानूनी प्रावधानों के अभाव में खारिज किया जावे स्थगन प्रार्थना पत्र अपील के साथ पेश किया जाता है प्रार्थी ने प्रा० पत्र 131, 136 L.R. Act के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 L.R. Act स्वयं एक प्रार्थना पत्र है प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थना पत्र पेश प्रस्तुत किया जो कानूनी प्रावधानों के विपरीत पेश किया जो इसी स्टेज पर खारिज किया जावे प्रार्थना पत्र में ख०नं० 101 के सभी खातेदारो सभी पक्षकारो को पक्षकार नहीं बनाया गया है इसीलिये आवश्यक पक्षकारो के अभाव में खारिज किया जावे भिन अप्रार्थी ने दिनांक 04/07/2019 को अपने स्वामित्व के आवासी भूमि ख०नं० 253 एवं प्रार्थी के ख०नं० 101 का गिरदावर हल्का एवं पटवारी हल्का की मौजूदगी में सीमाज्ञान कराया गया। जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थी की भूमि मौके पर सही होना माना गया। एवं मौके पर सीमा चिह्न कायम किये। इसीलिये अब प्रार्थी को उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई हक व अधिकार नहीं है। इसीलिये प्रार्थना पत्र को खारिज किया जावे।	

(विश्वामित्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

Scanned by CamScanner

फर्द अहकाम

न्यायालय — उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ (जयपुर)

रामविलास — बनाम — सरकार

मुकदमा संख्या/वर्ष : 143 /2019

क्र0स0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		अप्रार्थी सं० 2 ने अपनी बहस में यह भी कहा कि सैटलमेन्ट के दौरान नवीन ख0नं० 101 का नक्शा तरमीम करते वक्त पूर्व नक्शे से नक्शा काट कर रेस्पोंडेन्ट नं० 2 की आबादी भूमि के नक्शे में बढाकर प्रार्थी की भूमि के नक्शे में गलत प्रकार से तरमीम कर दी गई यह कथन गलत है प्रार्थी का नक्शा दर्ज हिस्से अनुसार पूरा बैठता है अप्रार्थी का नक्शा भी दर्ज हिस्से अनुसार पूरा बैठता है जो तहसीलदार की सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 5/3/15 से बखूबी जाहिर होती है एवं नक्शे में त्रुटि हुई ही नहीं प्रार्थी को नक्शा दुरुस्ती का कोई अधिकार नहीं है सामुदायिक भवन का निर्माण अप्रार्थी नं० 2 की भूमि में ही निर्माण करवाया जा रहा है इसलिये प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। उभय पक्षों की बहस सुनी व पत्रावली का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत जवाब में दर्ज रकबे के अनुसार ख0नं० 101 का रकबा 0.29 हैक्टेयर पाया गया अर्थात नये व पुराने नक्शे में रकबा बराबर है नक्शे में कोई त्रुटि नहीं होने से प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद कार्यवाही वाञ्छित उपरान्त मूल प्रकरण के साथ शामिल किया जावे। (हस्ताक्षर) (विश्वामित्र मीणा) उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2020.01.21 14:23:58 IST
Reason: SelfAttested
Location: